

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002.

Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh,
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002.

क्र. प्रशा.12/स.1/फा.39/ख-III/प्रतिनि./का.आ- 62

दिनांक:- 01.08.2023

कार्यालय आदेश/Office Order

इस कार्यालय के श्री सत्यजीत घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/11022) का कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर में उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.08.2023 (अप.) को इस कार्यालय से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति दें।

Consequent upon selection of Shri Satyajeet Ghosh, Sr. Auditor (03/11022) of this Office, on deputation basis in the O/o the Director General of Audit, West Central Railway, Jabalpur under general terms and conditions of deputation and the terms and conditions issued by Government of India from time to time, he is relieved from this office on 01.08.2023 (A.N.) and he is directed to join O/o the Director General of Audit, West Central Railway, Jabalpur.

उक्त स्थानांतरण लोकहित में नहीं है। अतः उन्हें किसी भी प्रकार के कार्यग्रहण काल, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं स्थानांतरण भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

Aforesaid transfer is not in public interest. Therefore deputation allowance, transfer TA, joining time will not be admissible to him.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरंत दें।

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office, to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.बी.14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006 तथा कार्यालय ज्ञापन क्र. 61812009-Estt. (Pay II) दिनांक 17.06.2010 (समय समय पर संशोधित) में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति नियमित होगी:-

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained in DoPT. O.M. No. A.B.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 and O.M. No. 61812009-Estt. (Pay II) dated 17.06.2010 (amended from time to time) of Government of India, Ministry, of Personnel, Public Grievances and Pensions:-

- 1- यह प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष (02.08.2023 से 01.08.2024) के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार इस कार्यालय की प्रशासनिक सुविधा/आवश्यकता तथा कर्मचारी की निरंतर उपयुक्तता पर निर्भर होगी।

This deputation will be initially for 01 year (02.08.2023 to 01.08.2024). The extension in deputation period will depend on the administrative convenience/requirement of this office and the continued suitability of the employee.

- 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन नहीं दे दिया है। प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवर स्टे न हो यह उसके अगले उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

Deputation period will not be extended and he will be treated as relieved unless the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstay of staff on deputation.

- 3- यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनांक तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक स्थगित रहेगी जब तक की संबंधित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

In the event of the officer overstaying for any reason whatsoever, he will be liable to disciplinary action and other adverse Civil Service consequences which would include that the period of unauthorized overstay shall not count as qualifying service and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent cadre.

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12

क्र. प्रशा.12/स.1/फा.39/ख-III/प्रतिनि./STR-I/92-94

दिनांक:- 01.08.2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र. ग्वालियर।
2. सचिव, महानिदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र. ग्वालियर।
4. उप महानिदेशक/प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर।
5. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-1, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 12 (पदक्रमसूची एवं स्टाफ स्वीकृति सीट), प्रशा-13, 14, गोपनीय कक्ष, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशिक्षण एवं परीक्षा।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/FAAP, कृपया श्री सत्यजीत घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/11022) को दिनांक 01.08.2023 (अप.) को सीधे कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के लिए कार्यमुक्त कर इस अनुभाग को सूचित करें।

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस.विंग को "Administration_personnel" लिंक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु तथा OIOS एवं E-Office में अद्यतन करने हेतु ।
10. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशा-14 को इंटरनेट/ इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु.
11. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर.
12. श्री सत्यजीत घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/11022) ।
13. सूचना पटल.

Stute
11/8/2023

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12